न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 13/2008/अपील

1. हरिनारायण पुत्र जगदीश प्रसाद आयु 50 वर्ष
2. सीताराम पुत्र जगदीश प्रसाद आयु 41 वर्ष

समस्त जाति महाजन निवासीगण अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1. सीताराम पुत्र भगवान सहाय आयु 55 वर्ष जाति यादव निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. श्रीमती सरोज पत्नी श्री रामजीलाल आयु 40 वर्ष जाति ब्राहमण शर्मा निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री प्रभूदयाल उम्र 40 वर्ष जाति यादव निवासी कलवाणियों का बास तन ग्राम नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4. बजरंग लाल पुत्र द्वारका प्रसाद जाति शर्मा ब्राहमण निवासी सिमारला (थाई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. बाबूलाल पुत्र श्री साधुराम जाति यादव अहीर निवासी विशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 952 दिनांकित 18.01.08
तहसीलदार (भू–अभिलेख) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलांट श्री मदनलाल शर्मा

निर्णय

दिनांकः—18.06.2018

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि कृषि भूमियाँ खसरा नं. 324 रकबा 1.49 है., 325 रकबा 1.52 है. एवं 303 रकबा 0.14 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.15 है. वाके तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसके वादीगण सह–खातेदार है तथा वादीगण का अन्य सह–खातेदारों के साथ शामलाती कब्जा एवं काश्त है। वादीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि के साथ कोई विवाद नहीं है। वादीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा नं. 495 रकबा 0.06 है. गैर मुमकिन चाह, खसरा नं. 496 रकबा 0.06 है., खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है. गैर मुमकिन तिबारी एवं खसरा नं. 494 रकबा 2.24 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 है. वाके तन ग्राम अजीतगढ है। जिसकी खातेदारी राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम अंकित है। वादीगण की कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 325 की पश्चिमी दिशा उतर–दक्षिण चौड़ाई 80 मीटर एवं खसरा नं. 324 की पूर्वी दिशा

व वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु छोटे–छोटे भूखण्ड के रूप में विक्रय करने की योजना बनाई। जिस उक्त ब्लू प्रिण्ट में अपीलान्ट्स की खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमियों का कुछ हिस्सा बिना किसी अधिकार के आवासीय प्लॉट व पार्क के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अपीलान्टस को जब रेस्पोंडेन्टस की इस अनुचित हरकत का पता चला तो उन्होने एक नियमित राजस्व वाद हरिनारायण वगैरह बनाम सीताराम वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष दिनांक 05.09.2007 को प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 06.09.2007 को धारा 80 सीपीसी के नोटिस मियादी दो माह के अभाव में खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 8592/07 एवं 8593/07 (212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय के विरूद्ध) प्रस्तुत की । जो दिनांक 09.01. 2008 को स्वीकार कर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. श्रीमाधोपुर निरस्त कर पत्रावली दावा की नियमानुसार निस्तारण करने का आदेश प्रदान किया। इसी बीच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त दावा के परिणामों से बचने के लिए कतई गलत रूप से उक्त दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन की जानकारी होते हुए भी दौराने दावा कृषि भूमियों खसरा नं. 495, 496, 497, 494 का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 13.09.07 को रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के पक्ष में कर दिया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 952 दिनांकित 18.01.2008 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा गलत रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पो. संख्या 4 व 5 के पक्ष में तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को कोई नोटिस एवं सूचना नहीं दी गई एवं कब्जा काश्त बाबत कोई जांच नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित कृषि भूमियों के सम्बंध में नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व से ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष वाद रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व मय अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिससे सम्बंधित निगरानियां अनुवानी हरिनारायण बनाम सीताराम वगै0 संख्या 8592/07 एवं 8593/07 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष नामान्तकरण तस्दीक होने से पूर्व से ही विचाराधीन थी। इस प्रकार रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 को विक्रय पत्र के माध्यम से या किसी भी रूप में रेस्पो. संख्या 4 व 5 के पक्ष में हस्तांतरित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 13.09.2007 के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 952 दिनांक 18.01.08 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से अपीलाधीन नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में भी अंकित किया है कि विवादित कृषि भूमियों के सम्बंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के न्यायालय में वाद अनुवानी हरिनारायण वगै0 बनाम सीताराम वगै0 एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 8592/07 एवं 8593/07 (212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय के विरूद्ध) विचाराधीन रहे है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मेमों में लिखे गये विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वाद के सम्बंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ठोस दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार अपील अपीलांट साक्ष्य/दस्तावेजात के अभाव में खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official